(वाद संख्या–4346/17)

02.09.2019

परिवादी, विनिता कुमारी अपने पिता, दिनेश मिस्त्री के साथ उपस्थित है।

परिवादी व उसके पिता को सुना।

प्रस्तुत मामला शादी करने के उद्देश्य से एक बारह वर्षीया नाबालिग लड़की (परिवादी) के, उसकी इच्छा के विरूद्ध, उसके नैसर्गिक संरक्षक के अनुमति के बिना, दिनांक–24.02.2017 को ग्राम–तेलारी, थाना–रूपौ, जिला–नवादा से प्राथमिकी अभियुक्तों द्वारा अपहरण करने व प्राथमिकी अभियुक्त, मधुसूदन पासवान से जबरदस्ती शादी कराने व उसका बलात्कार करने से संबंधित कौआकोल (रूपौ) थाना कांड सं0–20/2017 के प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने से संबंधित है।

परिवादी का कथन है कि प्रस्तुत कांड के चौदह प्राथमिकी अभियुक्तों में से मात्र दो प्राथमिकी अभियुक्त, मधुसूदन पासवान व उपेन्द्र चौधरी को ही गिरफ्तार किया गया, जिसे बाद में न्यायालय के आदेश से जमानत पर मुक्त कर दिया गया उसके, मुख्य अभियुक्त, ललन पासवान को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। परिवादी की ओर से माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध संख्या–21819/2018 के अन्तर्गत दिनांक–01.10.2018 द्वारा पारित आदेश की Web प्रति दाखिल की गयी। आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि पुलिस द्वारा प्राथमिकी अभियुक्त, ललन पासवान को अनुत्प्रेषित दर्शाते हुए प्रसंगाधीन कांड में आरोप पत्र समर्पित किया गया है, लकिन विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट पुलिस प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए उसके विरूद्ध भी आरोप–पत्रित धाराओं के अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लिया गया है। अभी उक्त अभियुक्त, ललन पासवान के अग्रिम जमानत से संबंधित याचिका माननीय पटना उच्च न्यायालय में विचाराधीन है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रसंगाधीन कांड से संबंधित विशेष वाद सं0–163/2017 में अग्रिम कार्रवाई को स्थगित रखने का आदेश दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि परिवाद–पत्र में उल्लिखित मामला एक सक्षम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। अतः उक्त मामले के अन्वेषण के संबंध में आयोग स्तर से कोई निर्देश/आदेश दिया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

अतः उक्त प्रस्तुत मामले को आयोग के स्तर पर बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>